भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 455**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**तस्करी के पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु उपाय**

**455. श्रीमती वंदना चव्हाणः**

 क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति और यौन उत्पीड़न हेतु बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपाय क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने बचाए गए बच्चों के बचाव, पुनर्वास, कौशल विकास और उनके जीवनयापन के वैकल्पिक साधनों का उपबंध करने हेतु उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त उपायों हेतु बजट आबंटन और तत्संबंधी व्यय कितना रहा है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ग) : किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 2(14)(2), (8) और (9) के अनुसार सरकार किसी रूप में बच्‍चों के अवैध मानव व्‍यापार से लड़ने के लिए कदम उठाती है। जेजे अधिनियम की धारा 54 (2) के अनुसार निरीक्षण समितियां अनिवार्य रूप से आवंटित क्षेत्र में बच्‍चों को रखने वाली सभी सुविधाओं का 3 माह में कम से कम एक बार दौरा करेंगी तथा टीम में कम से कम 3 सदस्‍य होंगे जिसमें से कम से कम एक महिला होगी और एक चिकित्‍सा अधिकारी होगा तथा अपने दौरे के एक सप्‍ताह के अंदर आगे की कार्रवाई के लिए यथास्‍थिति जिला बाल संरक्षण यूनिटों या राज्‍य सरकार को ऐसे दौरों के निष्‍कर्षों की रिपोर्ट प्रस्‍तुत करेगी। और धारा 54(3) के अनुसार निरीक्षण समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्‍तुत किए जाने पर जिला बाल संरक्षण यूनिट या राज्‍य सरकार द्वारा एक माह के अंदर उपयुक्‍त कार्रवाई की जाएगी और राज्‍य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्‍तुत की जाएगी। इस प्रकार अधिनियम के निष्‍पादन की प्राथमिक जिम्‍मेदारी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की है। इसके अलावा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ऐसे व्‍यक्‍तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है जो किसी गृह के प्रबंधन या स्‍टाफ में शामिल होने पर ऐसे बच्‍चे के विरूद्ध यौन अपराध करते हैं। केंद्र सरकार बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) (तत्‍कालीन समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम) चला रही है और अन्‍य बातों के साथ कठिन परिस्‍थितियों में रहने वाले बच्‍चों की स्‍थिति का विश्‍लेषण करने, विभिन्‍न प्रकार की सीसीआई स्‍थापित एवं अनुरक्षित करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान कर रही है। जेजे अधिनियम के तहत निर्मित किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं यौन संरक्षण) मॉडल नियमावली 2016 अन्‍य बातों के साथ भौतिक अवसंरचना, वस्‍त्र, बिस्‍तर, पोषण एवं आहार तथा पुर्नवास के उपायों जैसे कि शिक्षा, व्‍यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि के लिए मानक निर्धारित करती है। इसके अलावा सीपीएस 18 साल की आयु के बाद देखरेख पश्‍चात सेवाओं का भी प्रावधान करती है ताकि संस्‍था से पारगमन के दौरान स्‍वतंत्र जीवनयापन में उनकी मदद की जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने घर से भागे, अकेले तथा अवैध मानव व्‍यापार के शिकार बच्‍चों जो रेलवे के संपर्क में आ सकते हैं की देखरेख एवं संरक्षण, सुरक्षा एवं सेहत सुनिश्‍चित करने के लिए संयुक्‍त रूप से एक पहल की है। समस्‍या के समाधान के लिए मार्च, 2015 में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के बीच 19 मई, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए। उपर्युक्‍त एसओपी के कार्यान्‍वयन के लिए प्रचालनात्‍मक अनुदेशों में से एक चयनित रेलवे स्‍टेशनों पर चाइल्‍ड हेल्‍पडेस्‍क की स्‍थापना था। स्‍कीम विपदाग्रस्‍त बच्‍चों के लिए 24x7 आउटरीच हेल्‍पलाइन सेवा के लिए सहायता प्रदान करती है। यह सेवा एक समर्पित टोल फ्री नंबर 1098 के माध्‍यम से उपलब्‍ध है जो संकटग्रस्‍त बच्‍चों द्वारा या उनकी ओर से प्रौढ़ों द्वारा भारत के भौगोलिक क्षेत्र में किसी स्‍थान से अक्‍सेस की जा सकती है।

बाल संरक्षण सेवा के तहत वित्‍त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान राज्‍य सरकारों को जारी की गई निधियों तथा राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदान में से उनके द्वारा प्रयुक्‍त की गई निधियों का ब्‍यौरा संलग्‍न है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**‘तस्करी के पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु उपाय’ विषय पर श्रीमती वंदना चव्हाण द्वारा दिनाकं 13 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 455 के उत्‍तर के भाग (क) और (ग) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

वित्‍तीय वर्ष **2015-16, 2016-17** और वर्तमान वर्ष **2017-18** के दौरान सीपीएस के तहत राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्‍यौरा

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य का नाम**  | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** |
| **जारी की गई निधि**  | **उपयोग की गई निधि**  | **जारी की गई निधि**  | **उपयोग की गई निधि** | **जारी की गई निधि** | **उपयोग की गई निधि** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 238.58 | 500.52 | 110.74 | 586.32 | 1469.88 | 1537.11 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 571.68 | 92.02 | 52.29 | 179.54 | 643.71 | 180.00 |
| 3 | असम | 597.90 | 1025.07 | 413.64 | 1112.98 | 2932.68 | 1787.53 |
| 4 | बिहार | 2687.89 | 1896.52 | 2787.92 | 1923.33 | 541.56 | 1633.69 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3955.55 | 2086.26 | 527.77 | 1683.25 | 3181.97 | 2486.27 |
| 6 | गोवा | 235.25 | 39.68 | 36.83 | 98.27 | 728.53 | 54.44 |
| 7 | गुजरात | 2328.90 | 1510.37 | 769.95 | 1526.53 | 590.11 | 1767.24 |
| 8 | हरियाणा | 496.44 | 350.89 | 0.00 | 1224.85 | 1858.22 | 2500.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 604.04 | 1255.12 | 2345.48 | 2390.26 | 1835.01 | 1833.11 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | 113.35 | 0.00 | 43.12 | 114.71 | 807.48 | 374.62 |
| 11 | झारखंड | 369.88 | 387.42 | 840.11 | 842.14 | 1714.57 | 1641.76 |
| 12 | कर्नाटक | 1845.24 | 2193.66 | 3720.80 | 3709.53 | 3272.45 | 1364.04 |
| 13 | केरल | 944.39 | 660.25 | 260.50 | 216.96 | 1849.45 | 1275.72 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1116.03 | 2373.81 | 2503.88 | 2535.83 | 3262.77 | 2582.87 |
| 15 | महाराष्ट्र | 3138.75 | 1975.29 | 2272.33 | 1569.37 | 608.15 | 1308.75 |
| 16 | मणिपुर | 3082.18 | 1163.81 | 241.34 | 709.47 | 1886.33 | 2103.00 |
| 17 | मेघालय | 1469.55 | 1497.88 | 2060.33 | 2060.33 | 1846.60 | 1846.60 |
| 18 | मिजोरम | 2079.44 | 2079.44 | 1949.55 | 1949.55 | 1917.51 | 1917.51 |
| 19 | नागालैंड | 2257.65 | 1473.21 | 1350.37 | 1447.50 | 1457.45 | 1457.45 |
| 20 | ओडिशा | 3309.07 | 2669.74 | 1089.22 | 2580.78 | 2599.30 | 2773.86 |
| 21 | पंजाब | 820.81 | 515.57 | 581.67 | 718.31 | 143.24 | 875.43 |
| 22 | राजस्थान | 3258.92 | 2929.43 | 0.00 | 2267.52 | 4752.30 | 1295.98 |
| 23 | सिक्किम | 562.00 | 303.74 | 601.18 | 365.87 | 662.76 | 125.43 |
| 24 | तमिलनाडु | 825.04 | 4282.78 | 13039.37 | 3648.55 | 2013.12 | 5512.50 |
| 25 | तेलंगाना | 354.88 | 93.94 | 195.64 | 1823.98 | 894.82 | 633.08 |
| 26 | त्रिपुरा | 710.63 | 680.20 | 676.04 | 415.30 | 446.81 | 499.00 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 2884.18 | 3293.57 | 3207.19 | 3109.82 | 1830.67 | 4222.98 |
| 28 | उत्तराखंड | 66.88 | 3.89 | 15.54 | 187.54 | 907.57 | 731.40 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 508.67 | 1067.29 | 6763.87 | 3522.60 | 5073.56 | 4232.67 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 36.03 | 36.03 | 36.88 | 36.76 | 31.66 | 93.36 |
| 31 | चंडीगढ़ | 357.82 | 324.15 | 245.44 | 278.53 | 194.32 | 172.73 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 58.66 | 5.84 | 177.59 | 59.11 | 24.82 | 69.90 |
| 33 | दमन और दीव | 82.82 | 57.69 | 126.42 | 80.33 | 21.89 | 83.00 |
| 34 | दिल्ली | 1363.40 | 931.53 | 978.64 | 1024.94 | 354.33 | 1295.68 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -  |
| 36 | पुद्दुचेरी | 559.60 | 622.75 | 826.33 | 768.69 | 114.35 | 426.20 |